# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : प 42/मुसप्र/नियमितिकरण/2010–11/2391 दिनांक : 24-12-010

**परिपत्र**

वित्त विभाग (कर अनुभाग) राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.12.2010 द्वारा दिनांक 30.06.2009 तक निष्पादित किये गये अपंजीकृत विलेखो के आधार पर स्थानान्तरित/विक्रय कर दी गयी ऐसी स्थावर सम्पत्ति/आवासों जिनके भू–स्वामियों द्वारा इन अपंजीकृत विक्रय विलेखों के आधार पर लीज डीड एवं कन्वेंस डीड जारी करने हेतु आवेदन दिनांक 31.03.2010 तक कर दिया गया है, के पंजीयन हेतु नगर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगरपालिका/नगरपरिषद/राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जारी किये गये लीज डीड एवं कन्वेंश डीड का पंजीयन, दिनांक 31.03.2011 तक करवाने की शर्त पर, रूपये 50 प्रति वर्ग गज की रियायती दर पर करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के अनुसरण में सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता/सम्पदा प्रबंधक/लेखाधिकारी (वसूली) को एतद द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आवासन मण्डल द्वारा नकद भुगतान/किराया कय पद्धति/पारिजात योजना/स्ववित पोषित योजना/खुली बिकी योजना/नीलामी द्वारा विकय/आवंटित स्थावार सम्पत्ति/आवासों जिनका विक्रय दिनांक 30.06.2009 तक निष्पादित अपंजीकृत विलेखों (इकरारनामा, मुख्यतारनामा, वसीयतनामा) के आधार पर कर दिया गया है एवं क्रेता द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति/आवास के नियमितीकरण हेतु दिनांक 31.03.2010 तक मण्डल में आवेदन प्रस्तुत कर दिये गये है, के विरूद्ध यदि कोई राशि बकाया हो तो बकाया राशि जमा करते हुये, पश्चांतवर्ती अंतिम केता के पक्ष में नियमतिकरण करने के पश्चात परिपिचुअल लीज डीड एवं कन्वेंस डीड अविलम्ब जारी कर दी जावे ताकि दिनांक 31.03.2011 तक आवंटियों द्वारा उनका पंजीयन कराया जा सके।

यह स्पष्ट किया जाता है कि 31.03.2010 के पूर्व मण्डल को कभी भी प्राप्त हुये आवेदन पत्रों में यदि किसी दस्तावेज की या कोई अन्य कमी है, तो दस्तावेज एवं अन्य ऐसी किसी भी कमी को पूरा करने हेतु नोटिस भी डिमान्ड नोट के साथ ही रजिस्टर्ड ए डी द्वारा संबंधित आवंटी को आवश्यक रूप से दिनांक 31.01.2011 तक प्रेषित किया जावेगा। लम्बित प्रकरणों व उनमें जारी नोटिसों की संख्या का विवरण दिनांक 10.02.2011 तक जरिये फैक्स भिजवाया जाना भी सुनिश्चित किया जावे।

उक्त निर्देशों के संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मण्डल में दिनांक 31.03.2010 तक नियमितीकरण हेतु लम्बित/आवेदित ऐसे सभी प्रकरणों जो राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.12.2010 में निहित शर्तो की पूर्ति करते है, के पंजीयन विलेख अविलम्ब जारी किये जावे ताकि उनका पंजीयन दिनांक 31.3.2011 तक कराया जा सके।

उक्त निर्देशों की पालना में किसी भी शिथिलता/अनावश्यक आक्षेप अंकण की प्रवृति को मण्डल प्रशासन द्वारा गम्भीरता से लिया जावेगा।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अध्यक्ष, रा. आ. म., जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव, नविवि, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. आवासन आयुक्त, रा. आ. म., जयपुर
5. महानिरीक्षक पंजीयन एवं स्टाम्पस, राजस्थान सरकार, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि मण्डल द्वारा जारी पंजीयन विलेखों के निर्धारित अवधि में पंजीयन हेतु संबंधित उप पंजीयको को उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने बाबत निर्देश जारी करने का श्रम करावे।
6. उप शासन सचिव–वित्त विभाग (कर अनुभाग)/उप शासन सचिव–प्रथम, नविवि, राजस्थान सरकार, जयपुर
7. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान सरकार, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता/सचिव/वित्तीय सलाहकार, रा. आ. म., जयपुर
9. अति. मुख्य अभियन्ता-I/II/III/P &M/निदेशक (विधि), रा. आ. म., जयपुर
10. तकनीकी सहायक–आवासन आयुक्त/जन सम्पर्क अधिकारी, रा. आ. म., जयपुर
11. उप आवासन आयुक्त, वृत्त .................., रा. आ. म., ..................
12. आवासीय अभियन्ता, खण्ड .................., रा. आ. म., ..................
13. लेखाधिकारी (वसूली)/सम्पदा प्रबंधक, वृत्त .................., रा. आ. म., ..................
14. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक